

27.1.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
राजकुमार बनाम अमीलाल आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 35 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.01.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.01.2026 को पेश हो।	इस लेख में मोह मपता
21.1.2026	वकील वादी द्वारा उपस्थित आरू पत्रावली पेशी में लेते के निवेदन पर पत्रावली को पेशी में लिया गया 19.01.2026 फाटिटे उपस्थित / उत्तरवादी सं. 1 नं 3 जस्टिसे वकील श्री अनिल दर्शन उपस्थित आरू एकदाल दावा पेश किया 1 पत्रावली वास्ते जकाय लेट डाईरिड कर 21.1.2026 को पेश हो।	Jankar by Adv. Anil Darshan
22.1.2026	कुलाल कलक्टर व पारथिव/PL माहक प्रमाण प्रमाण है। पत्रावली उपस्थित। को जकाय लेट 27.1.2026 को पेश हो।	
27.1.2026	कुलाल कलक्टर उपस्थित रहे जकाय माहक प्रमाण कहल मुनीगरी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आरू व वकील वपुकीवली की सहमति के आधार पर वाद वती डिक्ली किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर दालिल फावलि किया जाये। पत्रावली नाम पर से काम की जाकर कातरवादी व अमीलाल जाका दालिल दफतर हो।	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

